पत्रांक — मं०मं०—01/आर०—04/2010..... 08

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

अफ़ज़ल अमानुल्लाह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव,
बिहार, पटना।

पटना—15, दिनांक 05 जनवरी, 2011

विषय — आकस्मिक तथा प्रतिबंधित अवकाश एवं अन्य अवकाश (अध्ययन अवकाश को छोड़कर) की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आकस्मिक तथा प्रतिबंधित अवकाश एवं अन्य अवकाश (अध्ययन अवकाश को छोड़कर) के संबंध में कहना है कि कुछ विभागों के प्रधान सचिव/सचिव द्वारा कार्यपालिका नियमावली के नियम—21 के अधीन बनी चतुर्थ अनुसूची के अन्तर्गत स्थापना संबंधी मामलों में शक्ति का प्रत्यायोजन की कंडिका—1 एवं 2 का पालन नहीं किया जा रहा है अर्थात् उनके द्वारा अपने विभागीय मंत्री से स्वीकृति/अनुशंसा नहीं ली जा रही है। जबकि स्पष्टतः उन्हें आकस्मिक अवकाश तथा प्रतिबंधित अवकाश अपने विभागीय मंत्री से ही लेनी है। अन्य अवकाश जैसे उपार्जित अवकाश, एल०टी०सी० पर जाने हेतु अवकाश इत्यादि की स्वीकृति (अध्ययन अवकाश को छोड़कर) मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री से प्राप्त करनी है किन्तु उसके पूर्व उन्हें अपने विभागीय मंत्री से अनुशंसा करानी आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि विभागीय प्रधान सचिव/सचिव अपने विभागीय मंत्री की स्वीकृति/अनुशंसा के पश्चात् ही आकस्मिक अवकाश, प्रतिबंधित अवकाश एवं इनसे भिन्न अन्य अवकाशों का उपभोग करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

5/1/11

(अफ़ज़ल अमानुल्लाह)
सरकार के प्रधान सचिव

D:\Cab 1 Systems\old file\Panday Joe.doc